उद्देश्य/ Objectives

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड में कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफ़एसपीएफ़) का सृजन किया गया जिससे कृषि आय और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके. इस निधि में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

Farm Sector Promotion Fund (FSPF) has been created in NABARD for supporting innovations in agriculture and allied sector leading to enhancement of farm income and farm productivity, encompassing the following:

i. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवोन्मेषों का संवर्धन.
   Promotion of innovations in agriculture and allied sectors.
ii. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि और बाजार तक पहुँच को सुगम्य बनाना.
   Enhancing productivity of agriculture and allied sectors and creating market access.
iii. अतिसंवेदनशील/ संकटग्रस्त जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि का संवर्धन.
   Promotion of climate resilient agriculture in vulnerable / distressed districts
iv. कृषि मूल्य श्रृंखला का संवर्धन.
   Promotion of Agricultural Value Chains.
v. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित किसानों के समूहों का संवर्धन.
   Promotion of farmers' collectives, including training and capacity building.
vi. ग्रामीण क्षेत्रों में मानव पूंजी के निर्माण सहित विशेषज्ञ सलाहकार सेवाओं, नीति समर्थन में सहायता करना.
   Supporting expert advisory services, policy advocacy including building up of human capital in rural areas.

निधि के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान के रूप में होती है जिसका निर्णय प्रत्येक मामले/ परियोजना के गुण-दोष के आधार पर किया जाता है. ऋण सहायता, जहां कहीं भी उल्लिखित है, का वित्तपोषण नाबार्ड/ नाबार्ड की सहायक संस्थाओं के मौजूदा ऋण उत्पादों के माध्यम से किया जाएगा. संस्थाएं जैसे राज्य कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाएं, प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान, एनजीओ, पंजीकृत समुदाय आधारित संगठन, पंजीकृत उत्पादक संगठन, किसान क्लब और

उनके संघ, प्रतिष्ठित न्यास, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित प्रतिष्ठान, व्यक्तिक/ व्यक्तियों के समूह, एनजीओ/ एफ़सी द्वारा प्रायोजित वैज्ञानिकों और नाबार्ड के अन्य भागीदार संगठन, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और उनके प्रशिक्षण संस्थान, उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने वाली एजेंसियां, सीएसआर फाउंडेशन, एसएचजी संघ और पशु विज्ञान केंद्र (पीवीके), कृषि क्षेत्र के तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करने वाले कृषि स्टार्ट-अप, नाबार्ड की सहकारी संस्थाएं, आदि एफ़एसपीएफ़ के तहत अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.

The support under the Fund is in the form of grant, decided on the merits of each case/ project. Loan assistance, wherever envisaged, will be funded through the existing loan products of NABARD/ subsidiaries of NABARD. Institutions like State Agriculture Universities, Research Institutions, reputed Management Institutes, NGOs, registered Community Based Organisations, registered Producers' Organisations, Farmers' Club and their federations, reputed Trusts, foundations established by Corporates and Private sector working in the field of agriculture and rural development, Individuals/ groups of individuals, scientists sponsored by NGOs/ FCs and other partner organisations of NABARD, Commercial Banks, Regional Rural Banks, Co-operative Banks and their training establishments, Sponsoring agencies promoting Producer Organisations, CSR foundations, SHG Federations & Pashu Vigyan Kendras (PVKs), Agri stratups providing technology- based solutions under the farm sector, Subsidiaries of NABARD, etc., are eligible for availing grant assistance under FSPF.